



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

“वन धनभवन” सेक्टर 24, अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष : 0771-2513100

E-mail:mfpfed.cg@nic.in; Website: www.cgmfpfed.org

//विज्ञापन प्रारूप//

यंग प्रोफेशनल चयन हेतु साक्षात्कार (Walk In Interview) आयोजित किये जाने बाबत

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, अटल नगर, नवा रायपुर अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु, इंटरनशिप प्रोग्राम वर्ष 2021-2022 (मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक) में इंटरनशिप पूर्ण किये अभ्यर्थियों का चयन यंग प्रोफेशनल के रूप में चयन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु उपरोक्त अवधि में संतोषजनक रूप में इंटरनशिप पूर्ण कर चुके योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 28.05.2022 तक ईमेल mfpfed.cg@nic.in के माध्यम से आमंत्रित किया जाना है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 30.05.2022 समय-दोपहर 12:00 बजे से साक्षात्कार आयोजन कर यंग प्रोफेशनल का चयन किया जावेगा। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम / शैक्षणिक योग्यता	मासिक मानदेय
1	2	3
1.	यंग प्रोफेशनल <ul style="list-style-type: none">बी.एस.सी.(कृषि/उद्यानिकी/फॉरेस्ट्री/बायोलॉजी) एवं बी.ई./बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी/मैकेनिकल/कृषि इंजीनियरिंग) स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण।आवश्यक अनुभव- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या. अंतर्गत 01 वर्षीय इंटरनशिप कार्यक्रम (वर्ष 2022) अंतर्गत इंटरनशिप पूर्ण किया गया हो।यंग प्रोफेशनल चयन हेतु परिशिष्ट-01 में दिये अनुसार पात्र हो।	15,000 + प्रदर्शन के आधार पर इंसेन्टिव

चयनित अभ्यर्थियों को राज्य के किसी भी जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित/संघ मुख्यालय में पदस्थिति किया जा सकता है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को वनक्षेत्रों के दूरस्थ अंचलों में कार्य करना तथा सघन क्षेत्र भ्रमण किया जाना अनिवार्य होगा। चयन के संबंध में विस्तृत विवरण /संशोधन छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित के वेबसाइट- www.cgmfpfed.org पर देखी जा सकती है।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ
मर्या, नवा रायपुर (छ.ग.)

-:: यंग प्रोफेशनल का चयन हेतु विज्ञापन एवं विस्तृत दिशा-निर्देश ::-

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, अटल नगर, नवा रायपुर अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु, इंटरनशीप प्रोग्राम वर्ष 2021-2022 (मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक) में इंटरनशीप पूर्ण किये अभ्यर्थियों का चयन यंग प्रोफेशनल के रूप में चयन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु उपरोक्त अवधि में संतोषजनक रूप में इंटरनशीप पूर्ण कर चुके योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 28.05.2022 तक ईमेल mfpfed.cg@nic.in के माध्यम से आमंत्रित किया जाना है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 30.05.2022 समय-दोपहर 12:00 बजे से साक्षात्कार आयोजन कर यंग प्रोफेशनल का चयन किया जावेगा। विवरण निम्नानुसार है :-

1. यंग प्रोफेशनल पद हेतु शैक्षणिक योग्यता विवरण -

क्र.	पद का नाम / शैक्षणिक योग्यता	मासिक मानदेय
1	2	3
1.	यंग प्रोफेशनल <ul style="list-style-type: none">बी.एस.सी.(कृषि/उद्यानिकी/फॉरेस्ट्री/बायोलॉजी) एवं बी.ई./बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी/मैकेनिकल/कृषि इंजीनियरिंग) स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण।आवश्यक अनुभव- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या. अंतर्गत 01 वर्षीय इंटरनशीप कार्यक्रम (वर्ष 2022) अंतर्गत इंटरनशीप पूर्ण किया गया हो।यंग प्रोफेशनल चयन हेतु परिशिष्ट-01 में दिये अनुसार पात्र हो।	15,000 + प्रदर्शन के आधार पर इंसेन्टिव

एकमुश्त मासिक मानदेय राशि रु.15000.00 के अतिरिक्त प्रदर्शन आधार पर इंसेन्टिव भी देय होगा। इनसेन्टिव का निर्धारण कार्य की समीक्षा करते हुए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जावेगा। केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अनुमोदित इनसेन्टिव ही प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में चयनित अभ्यर्थियों के किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

2. कार्य दायित्व :-

- 2.1. यंग प्रोफेशनल द्वारा न्यूनतम 03 वनधन केन्द्र को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने का दायित्व होगा अर्थात् प्रत्येक वनधन केन्द्र में वार्षिक टर्नओवर 25 लाख से अधिक प्राप्त करने हेतु कार्य योजना तैयार कर तदनुसार प्रगति प्राप्त करना है।
- 2.2. न्यूनतम एक स्थान में FPO (farmer producer organisation) का गठन करना होगा, जिससे स्थानीय वनोपज आदि को उचित रीति से संग्रहण, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग किया जा सके।
- 2.3. इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या. अंतर्गत समय-समय पर सौंपे गये कार्य को भी किया जावेगा।

3. कार्य स्थल :-

चयनित यंग प्रोफेशनल का पदस्थिति राज्य के किसी भी जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित अंतर्गत दुरस्थ क्षेत्रों में /संघ मुख्यालय में किया जावेगा तथा चयनित अभ्यर्थी को पदस्थिति क्षेत्र में ही रहना अनिवार्य होगा । ऐसा नही करने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए चयन आदेश को निरस्त किया जावेगा ।

4. समय सारणी :-

क्र.	विषय	दिनांक	समय	विवरण
1.	विज्ञापन जारी करने का दिनांक	20.05.2022	संध्या 5:30 बजे	लघु वनोपज संघ की वेबसाइट-www.cgmfpfed.org
2.	संलग्न प्रारूप-1 में आवेदन प्रेषित करने का अंतिम दिनांक	28.05.2022	संध्या 5:30 बजे	लघु वनोपज संघ ईमेल-mfpfed.cg@nic.in
3.	साक्षात्कार का दिनांक एवं समय	30.05.2022	दोपहर 12:00	कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, अटल नगर, नवा रायपुर
4.	साक्षात्कार परिणाम घोषणा	06.06.2022	दोपहर 12:00	लघु वनोपज संघ की वेबसाइट-www.cgmfpfed.org
5.	चयनित इंटरन उपस्थिति अंतिम दिनांक	13.06.2022	संध्या 5:30 बजे	संघ द्वारा निर्धारित स्थल पर
6.	चयनित इंटरन के उपस्थिति न देने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में दर्शित अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों के लिए सूचना	15.06.2022		लघु वनोपज संघ की वेबसाइट-www.cgmfpfed.org
7.	चयनित इंटरन के उपस्थिति न देने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में दर्शित अभ्यर्थियों का उपस्थिति अंतिम दिनांक	22.06.2022		संघ द्वारा निर्धारित स्थल पर

5. आयु सीमा:-

निर्धारित आवश्यक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी रिक्तियां हेतु आवेदन करें । परंतु अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा प्रत्येक वर्ग हेतु 01.01.2022 की स्थिति में 35 वर्ष से अधिक न हो।

6. निवासी:- छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा । इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

7. चयन प्रक्रिया -

7.1. इच्छुक अभ्यर्थी को संलग्न निर्धारित प्रपत्र-01 में आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के ईमेल-mfpfed.cg@nic.in में दिनांक 28.05.2022 तक भेजना है।

7.2. प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा । अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार में भाग लेने का यह तात्पर्य नही होगा कि उनका चयन हो गया है ।

7.3. अभ्यर्थियों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा कर कार्य कुशलता प्रतिवेदन, आचरण एवं व्यवहार एवं अनुशासन पालन संबंधी प्रतिवेदन उनके पूर्व पद स्थापना स्थल के सक्षम अधिकारी/प्रबंध संचालक, जिला यूनियन से संघ कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जावेगा । तदानुसार साक्षात्कार हेतु सूची तैयार की जावेगी ।

- 7.4. अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी ।
- 7.5. प्राप्त आवेदन तथा अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किये कार्यों के आकलन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा । चयन समिति के निर्णय अनुसार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ/जिला यूनियन द्वारा अभ्यर्थियों को चयन आदेश जारी किया जावेगा । चयन सूची जारी होने के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी के दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा चयन समिति के अनुशंसा आधार घोषित निर्णय अंतिम होगा ।
- 7.6. अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में किये गये कार्यों के आधार पर चयन समिति द्वारा चयन सूची जारी की जावेगी ।
- 7.7. चयन प्रक्रिया के तहत अंको का विभाजन - चयन प्रक्रिया हेतु वरीयता सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी -

क्र.	विवरण	यंग प्रोफेशनल
1.	लघु वनोपज संग्रहण/प्रसंस्करण/मार्केटिंग संबंधी अभ्यर्थी द्वारा किये सफल प्रयास इंटरनशीप अवधि में किये कार्य पर PPT	15 अंक
2.	स्वयं के द्वारा चयनित एक वनधन विकास केन्द्र सुदृढीकरण पर PPT (25 लाख वार्षिक टूर्न ओवर प्राप्त करने हेतु कार्य योजना बनाने)	15 अंक
3.	Interview Oral	20 अंक
योग:-		50 अंक

8. मूल दस्तावेज सत्यापन -

साक्षात्कार पूर्व आवेदक को निर्धारित प्रारूप में ईमेल के माध्यम से प्रेषित जानकारी का साक्षात्कार स्थल पर “संलग्न प्रपत्र-01” में आवश्यक जानकारी भरकर स्व प्रमाणित दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन के समय प्रस्तुत जानकारी एवं मूल दस्तावेज में अंकित जानकारी समान होने पर ही आवेदक चयन हेतु पात्र होगा । गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण यदि चयन निरस्त की जाती है तो आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा ।

- 8.1. हाईस्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति ।
- 8.2. हायर सेकेण्ड्री एवं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की अंक सूची की मूल प्रति एवं छाया प्रति ।
- 8.3. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित अंतर्गत जिला वनोपज सहकारी यूनियन में इंटरनशीप किये इंटरनशीप अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
- 8.4. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति ।
- 8.5. फोटो युक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स, पैन कार्ड या कोई भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान कार्ड) ।
- 8.6. अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छायाप्रति ।

9. सामान्य दिशा निर्देश:-

- 9.1. कुल इंटरन पद के विरुद्ध कितने अभ्यर्थियों को यंग प्रोफेशनल के रूप में चयन किया जाना है। यह निर्णय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा लिया जावेगा।
- 9.2. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- 9.3. यंग प्रोफेशनल चयन हेतु अर्हता, चयन प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित जानकारी संघ की वेबसाइट www.cgmfpfed.org पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक www.cgmfpfed.org का निरंतर अवलोकन करते रहें।
- 9.4. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही साक्षात्कार में उपस्थित हों। चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
- 9.5. अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरनशीप अवधि वर्ष 2021-22 (मार्च 2021 से अप्रैल 2022) के अंतर्गत इंटरनशीप का एक वर्षीय प्रोग्राम पूर्ण न किया हो एवं अभ्यर्थी जिन्होंने संघ के इंटरनशीप प्रोग्राम 2022 के अंतर्गत इंटरनशीप न किया हो अर्थात् उन्हें उक्त अवधि में इंटरनशीप का अनुभव न हो चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 9.6. इंटरनशीप अवधि वर्ष 2021-22 (मार्च 2021 से अप्रैल 2022) के अंतर्गत असंतोषप्रद कार्य के आधार पर इंटरनशीप प्रोग्राम से पृथक किये गये अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 9.7. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर दंडित किया गया हो वह चयन हेतु अपात्र होगा।
- 9.8. विज्ञापन में तथ्यात्मक / लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना वेबसाइट-www.cgmfpfed.org में प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
- 9.9. चयन के संबंध में नियुक्तकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 9.10. यंग प्रोफेशनल की नियुक्ति 1 वर्ष हेतु किया जावेगा। यंग प्रोफेशनल की नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी रहेगी। कार्य कुशलता के आधार पर 1 वर्ष हेतु कार्य अवधि बढ़ायी जा सकती है। यह निर्णय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लिया जावेगा।
- 9.11. चयनित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ के वनवासियों के आजीविका के लिये कार्य करना है। इस हेतु आवेदक को जिला यूनियन व दूरस्थ क्षेत्र तथा सम्पूर्ण राज्य में किसी भी स्थान पर चयनकर्ता अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र भ्रमण किया जाना होगा। क्षेत्र भ्रमण दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में भी किया जाना होगा। आवश्यकतानुसार राज्य के बाहर भी प्रवास पर जाना होगा। तदनुसार इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन प्रस्तुत करें।

- 9.12. यंग प्रोफेशनल में चयनित अभ्यर्थियों सेवा के दौरान दुर्व्यवहार किये जाने की स्थिति में उभय पक्षों द्वारा तत्काल नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है ।
- 9.13. किसी भी आवेदक द्वारा यदि गलत जानकारी प्रस्तुत की गयी है, तो चयन प्रक्रिया के समय अथवा चयन के पश्चात किसी भी समय उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है ।
- 9.14. यह भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी का चयन उपरांत छ.ग.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित में किसी भी प्रकार के नौकरी या नियुक्ति का आश्वासन नहीं करता है ।
- 9.15. चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास के लिए असहमति दी जाती है तो तत्काल प्रभाव से उनकी नियुक्ति आदेश समाप्ति की जावेगी ।

अपर प्रबंध संचालक (विकास)
छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

//यंग प्रोफेशनल चयन हेतु आवेदन पत्र//

प्रति,

प्रबंध संचालक,

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या
नवा रायपुर (छ.ग.)स्व-प्रमाणित
फोटोग्राफ

आवेदित पद का प्रकार :-

1. नाम -----
2. जन्मतिथि (अंको में) -----
जन्मतिथि (शब्दों में) -----
3. लिंग (महिला/पुरुष) -----
4. निवासी जिला -----
5. स्थायी पता -----
6. वर्तमान पता -----
7. ई-मेल -----
8. मोबाईल नंबर -----
9. आधार नंबर -----

10. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड का नाम	वर्ष	विषय	प्रतिशत

11. कम्प्यूटर दक्षता (हाँ/नहीं) -----
12. इंटरनशीप किये जिला वनोपज -----
सहकारी यूनियन का नाम -----
13. स्व-प्रमाणित दस्तावेजों की -----
सूची।
14. इंटरनशीप अवधि में आपके द्वारा -----संलग्न करें-----
संपादित किये गये कार्य का
संक्षिप्त विवरण

स्थान :

दिनांक :

(अभ्यर्थी का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर)